ऑन लाईन नं.RCMS2023/235

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 86 / 2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राधेश्याम छाबड़ा पुत्र श्री जगन्नाथ छाबड़ा विक्रेता व मालिक
मै0 जय माँ विन्तपूर्णी किरयाना स्टोर, मार्केट कमेटी के पारा, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : 20.10.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता , खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2022 को बाद दोपहर बाद 1.00 पीएम पर **मै0** जय माँ विन्तपूर्णी किरयाना स्टोर, मार्केट कमेटी के पारा, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता **राधेश्याम छाबड़ा पुत्र श्री जगन्नाथ छाबड़ा** (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय देकर दुकान के अन्दर रखे खाद्य पदार्थ **घी (हरमन प्लस ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा दुकान के अन्दर एक रैक पर 500--500 के 20 डिब्बे खाद्य पदार्थ **घी (हरमन प्लस ब्राण्ड)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **घी (हरमन प्लस ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **घी (हरमन प्लस ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एव मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **राधेश्याम छाबड़ा पुत्र श्री जगन्नाथ छाबड़ा** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म रो 5 ए की एक प्रति विक्रेता एव मालिक **राधेश्याम छाबड़ा पुत्र श्री जगन्नाथ छाबड़ा** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **घी (हरमन प्लस ब्राण्ड) में से 500 मिली के 4 डिब्बे घी (हरमन प्लस ब्राण्ड)** को विक्रेता से तय कीमत पर खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **घी (हरमन प्लस ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 50/– रूपये किया तथा केशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (हरमन प्लस ब्राण्ड) 500 मिली के चारों मूल पेक डिब्बो** पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1381** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1381** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **राधेश्याम छाबड़ा पुत्र श्री जगन्नाथ छाबड़ा** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) एवं रेफरल लेब पुणे को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

रेफरल लेब पुणे द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–RFL/P/DO/648/22-101/2022-23 Dated 27-02-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1381 Sub-Standard-Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **राधेश्याम छाबड़ा पुत्र श्री जगन्नाथ छाबड़ा** मैसर्स जय मॉ विन्तपूर्णी किरयाना स्टोर, मार्केट कमेटी के पास, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **घी (हरमन प्लस ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मण्डी केरारीरिंहपुर में किरयाना का कारोबार करता है। प्रार्थी की दुकान से हरमन प्लस ब्राण्ड घी का सैम्पल लिया गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त घी स्वयं द्वारा तैयार नहीं किया गया है जॉच रिपोर्ट के अनुसार उक्त ब्राण्ड का घी सब स्टैण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त घी स्वंय तैयार नहीं किया गया है। प्रार्थी की आजीविका का एक मात्र साधन किरयाने का कारोबार है। प्रार्थी इसी कारोबार से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रकरण का फैसला करवाना चाहता है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए लोक अदालत की भावना के दृष्टिगत प्रकरण का निर्णय किये जाने की अनुकम्पा करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **घी (हरमन प्लस ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1223** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–RFL/P/DO/648/22/101/2022-23 Dated 27-02-2023 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्तो के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी की दुकान से हरमन प्लस ब्राण्ड घी का सैम्पल लिया गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त घी स्वयं द्वारा तैयार नहीं किया गया है जॉच रिपोर्ट के अनुसार उक्त ब्राण्ड का घी सब स्टैण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी की आजीविका का एक मात्र साधन किरयाने का कारोबार है। प्रार्थी इसी कारोबार से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी के प्रकरण की परिस्थितियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए लोक अदालत की भावना के दृष्टिगत प्रकरण का निर्णय किये जाने की अनुकम्पा करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Ghee (Harman Plus Brand" does not conform to the Standards of Ghee as per Regulation No.2.1.8 of the Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011. and further amendments, on athe basis of tests performed . Hence found to be Sub-Standard as per section 3(1)(zx) of Food Safety & Standards Act 2006.**की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **राधेश्याम छाबड़ा पुत्र श्री जगन्नाथ छाबड़ा** एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **राधेश्याम छाबड़ा पुत्र श्री जगन्नाथ छाबड़ा** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **राधेश्याम छाबड़ा पुत्र श्री जगन्नाथ छाबड़ा** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर